

पत्रांक-7/फा0-11-01/2018- 16(7)d
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ
फाईलेरिया नियंत्रण, स्वास्थ्य भवन, सुल्तानगंज, पटना-6
संबंधित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सूची संलग्न)

पटना, दिनांक 12-06-2018

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य- 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0002-राष्ट्रीय फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विपत्र कोड- 20-2210061010002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्तों तथा अन्य मदों में कुल ₹14,14,55,911/- (चौदह करोड़ चौदह लाख पचपन हजार नौ सौ ग्यारह रूपये) मात्र का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्तों तथा अन्य मदों में कुल ₹14,14,55,911/- (चौदह करोड़ चौदह लाख पचपन हजार नौ सौ ग्यारह रूपये) मात्र का आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी गैर योजना व्यय शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-06-लोक स्वास्थ्य-101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण-0002-राष्ट्रीय फाईलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम विपत्र कोड-20-2210061010002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आयोजना भिन्न में उपबन्धित राशि से की जायगी ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ (फाईलेरिया नियंत्रण) बिहार, पटना तथा सम्बंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे । इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र भी अंकित करेंगे ।

6. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

7. आवंटित राशि से किए गए कय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

8. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

→

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9. यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

10. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के कम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

11. वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय ।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्थापना कर्मियों का वेतन भुगतान प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

13. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

रजि

ज्ञापांक : 16(7)A

पटना, दिनांक : 12-06-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं प्र0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7 / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पॉच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

रजि

विवरण-I

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित फाईलेरिया नियंत्रण उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	सकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रसिद्धि (06-01)	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव (13-02)	दूरभाष (13-03)	विद्युत प्रसार (13-04)	विधि प्रसार (13-05)	वर्दी/पोषाक (13-06)	किराया महशूल एवं कर (14-01)	सामग्री एवं प्रतियाँ (21-01)	मशीनें एवं उपकरण (52-01)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	गया	4600000	552000	506000	0	184000	82800	5924800	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	5956800
2	मोहनपुर (आर)	3400000	408000	374000	0	136000	61200	4379200	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	4411200
3	नवादा	1900000	228000	209000	0	76000	34200	2447200	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	2479200
4	जहानाबाद	2700000	324000	297000	0	108000	48600	3477600	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	3509600
5	दरभंगा	3400000	408000	374000	0	136000	61200	4379200	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	4411200
6	छपरा, सारण	1700000	204000	187000	0	68000	30600	2189600	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	2221600
7	सीतामढी	1700000	204000	187000	0	68000	30600	2189600	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	2221600
8	सहरसा	2500000	300000	275000	0	100000	45000	3220000	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	3252000
9	समस्तीपुर	2500000	300000	275000	0	100000	45000	3220000	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	3252000
10	रोहतास	3000000	360000	330000	0	120000	54000	3864000	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	3896000
11	मुंगिया	2700000	324000	297000	0	108000	51300	3480300	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	3512300
12	पटना	3000000	360000	330000	300000	1200000	570000	38970000	27511	10000	15000	0	0	0	5000	2000	11000	5000	4000	39049511
13	नागलपुर	4600000	552000	506000	0	184000	87400	5929400	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	5961400
14	हाजीपुर, वैशाली	2300000	276000	253000	0	92000	43700	2964700	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	2996700
15	सिवान	2000000	240000	220000	0	80000	38000	2578000	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	2610000
16	बिहारशरीफ, नालन्दा	4100000	492000	451000	0	164000	77900	5284900	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	5316900
17	मुजफ्फरपुर	3400000	408000	374000	0	136000	64600	4382600	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	4414600
18	मुंगेर	4600000	552000	506000	0	184000	87400	5929400	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	5961400
19	मोतिहारी, फुल्बारा	4600000	552000	506000	0	184000	87400	5929400	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	5961400
20	मधुबनी	3400000	408000	374000	0	136000	64600	4382600	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	4414600
21	कटिहार	2000000	240000	220000	0	80000	38000	2578000	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	2610000
22	बेगूसराय	3400000	408000	374000	0	136000	64600	4382600	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	4414600
23	बेतिया, पंचमाराण	1700000	204000	187000	0	68000	32300	2191300	0	4000	5000	0	0	0	1500	1500	11000	5000	4000	2223300
24	अपर निदेशक, फाईलेरिया	12000000	1800000	1440000	200000	480000	228000	16148000	0	10000	20000	45000	25000	15000	10000	4000	11000	100000	10000	16398000
	कुल	108200000	13344000	12022000	500000	4328000	2028400	140422400	27511	108000	145000	45000	25000	15000	48000	39000	264000	215000	102000	141455911

(चौदह करोड़ चौदह लाख पचपन हजार नौ सौ ग्यारह) रु० मात्र

16(7)A
12-06-18

12/6/18
सरकार के विशेष सचिव
खाता

उपबंध की स्थिति

- 4 -

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
1	वेतन (0002-01-01)	207780000	108200000	99580000
2	जीवन यापन भत्ता (0002-01-03)	31167000	13344000	17823000
3	मकान किराया भत्ता (0002-01-04)	33244000	12022000	21222000
4	परिवहन भत्ता (0002-01-05)	853000	500000	353000
5	चिकित्सा भत्ता (0002-01-06)	8532000	4328000	4204000
6	अन्य भत्ता (0002-01-07)	3882000	2028400	1853600
	योग 20-2210.06.101.0002.01 वेतन	285458000	140422400	145035600
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002-06-01)	300000	27511	272489
8	यात्रा व्यय (0002-11-01)	200000	108000	92000
9	कार्यालय व्यय (0002-13-01)	300000	145000	155000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002-13-02)	90000	45000	45000
11	दूरभाष (0002-13-03)	50000	25000	25000
12	विद्युत प्रभार (0002-13-04)	30000	15000	15000
13	विधि प्रभार (0002-13-05)	100000	48000	52000
14	वर्दी / पोषाक (0002-13-06)	66000	39000	27000
15	किराया महसूल एवं कर (0002-14-01)	550000	264000	286000
16	प्रशिक्षण व्यय (0002-20-03)	1500000	0	1500000
17	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002-21-01)	400000	215000	185000
18	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0002-27-02)	1000	0	1000
19	मशीने एवं उपस्कर (0002-52-01)	200000	102000	98000
	कुल योग:-	289245000	141455911	147789089

16(ग)अ

12-06-18

सरकार के विशेष सचिव

लगा

12/6/18